



३०५।।

दस्तावेज़— 2288709  
2288710

नगर निगम केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-220001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2196 / 05/76 / एक / 2015-16  
सेवा में

दिनांक : 25 अगस्त 2015

पिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-महाराजगंज।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूदा द्वारा आपके जनपद (दूड़ा) को अत्यसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में स्वीकृत परियोजनाओं की घनराशि का प्रेषण।

महोदय

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित दिवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

घनराशि का प्रेषण (लाख रु. में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	घनराशि
एच०डी०एफ०सी० बैंक	19091450000036	IFSC Code HDFC0001909	₹ 25.147
(घनराशि लाख रु. में)			

क्र. सं०	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की घनराशि का प्रेषण
1	महाराजगंज	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा०४० महाराजगंज	वार्ड सं० ०३ अर्बेडकर नगर में उत्तरी राइड पुलिया के बगल रो पश्चिम साइड से शास्त्री नगर पुलिया तक इन्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.321
2	महाराजगंज	मलिन वस्ती-83 बजट	न०पा०४० महाराजगंज	वार्ड सं० ०३ अर्बेडकर नगर में पिंय रोड से गार्डन होटे हुये श्री विराज दास साउथ राइड अपटू तलारी पोखरी तक इन्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.826
	योग				₹ 25.147

उपरोक्त अवमुक्त घनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में री०री० रोड अथवा इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुलूप शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में सी०री० रोड अथवा इन्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के घण्टात छोलोशाफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकआप न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी रौप्यकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्परतात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही घनराशि के सापेक्ष यह चुनिशित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से घनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्बन्धित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत घनराशि तत्काल अभिकरण गुल्जालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी घनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।



(30512)

दूरध्वां 2200709  
2200710

नथ शेखन कोन्न, 10 असोक नगर, लखनऊ-220001

## राज्य नगरीय विकास अभियन्त्र, उ.प्र.

- 7- परिसम्पत्तियों के सुजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सुजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदात्मकी सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनानागत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभियन्त्र को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभियन्त्र को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्ता धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं रथीकृत परियोजनानागत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि ये प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्ण व्याधानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कठीनी रामबन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्थीकृत की गई है। यिसी अवकार का व्यवहरण अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सुदूरना अभियन्त्र मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी रांयुष्ट रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किशत की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्ता धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभियन्त्र को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप रिंड)  
वित्त नियन्त्रक

## पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियन्त्र, सम्बन्धित जनपद।
- अपर निदेशक, सूडा।।
- अधिकारी अभियन्त्रा - सूडा।
- कम्प्यूटर सेल / लेखा विभाग - सूडा।।

(लाल प्रताप रिंड)  
वित्त नियन्त्रक